न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या— 04/23

तारीख रज्जू—12/09/23

1 विजय कुमार सैनी आयु 32 साल पुत्र भरतलाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम जलोखरा तहसील गंगापुर सिटी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. गुलाब देवी पुत्री स्व0 भौरया पत्नी मानसिंह जाति माली निवासी जलोखरा हाल छावा की बगीची तहसील गंगापुर सिटी ।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक— 12/03/2024

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम जलोखरा के नामान्तकरण संख्या 102 में पारित निर्णय दिनांक 31/03/2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ने ग्राम जलोखरा में स्थित भूमि खं0नं0 301 रकबा 1.13 है0 का बटवारा नामान्तकरण तस्दीक किया था , साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 102 निर्णय दिनांक 31/03/2005 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा ग्राम जलोखरा में स्थित भूमि खं0न0 301 रकबा 1.13 है0 भूमि का नामान्तकरण सं0 102 बंटवारा के तहत खोला गया था। उक्त नामान्तकरण के तहत जगन पुत्र भौरया माली के नाम नवीन खं0न0 367/301 रकबा 0.28है0, जगदीश पुत्र भौरया माली खं0नं0 369/301 रकबा 0.28है0,

12/3/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

भरती पुत्र भौरया माली खं0नं0 368/301 रकबा 0.28है0, बसन्ती पत्नी भौरया माली खं0नं0 366/301 रकबा 0.29है0 व जगन भरती, जगदीश पिसरान भौरया, बसन्ती पत्नी भौरया जाति माली निवासी जलोखरा के नाम खं0नं0 302 रकबा 0.02है0 गै0मु0चाह का बंटवार कर दिया गया और दिनांक 31.03.2005 को अवैध रूप से नामान्तकरण स्वीकार कर लिया गया।

उक्त वाद आरजीयात खं0नं0 301 के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष एक प्रकरण जौहरी वगै0 बनाम जगन वगै0 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं0 65/2003 में स्थगन आदेश पारित किया हुआ था। उक्त स्थगन आदेश के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण तस्कीद कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है,साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 102 निर्णय दिनांक 31/03/2005 वाके ग्राम जलोखरा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस निवेदन किया कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष एक प्रकरण जौहरी वगै0 बनाम जगन वगै0 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं0 65/2003 में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 25/08/2003 द्वारा केवल बेचान हेतु पाबन्द किया गया था। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रकरण में विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है ना कि बेचान का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तकरण संख्या 102 निर्णय दिनांक 31/03/2005 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने, उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष एक प्रकरण जौहरी वगै0 बनाम जगन वगै0 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं0 65/2003 में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश

12/3/24

जिला कलक्टर

25/08/2003 द्वारा केवल बेचान हेतु पाबन्द किया गया था। उक्त स्थगन आदेश में न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने रिकोर्ड व मौके की यथा स्थिती रखने हेतु कोई तथ्य स्थगन आदेश में अंकित किया हुआ नहीं है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि अदालत मातहत द्वारा बटवारा का नामन्तकरण तस्दीक किया हुआ है। ना कि भूमि बेचान का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 102 निर्णय दिनांक 31/03/2005 वाके ग्राम जलोखरा यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2024............ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी